राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

कोविड-19 के संदर्भ में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए परामर्शी (2.0)

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कोविड-19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप हुए लॉकडाउन द्वारा लगाई गई अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए 29/09/2020 को 'कोविड-19 के संदर्भ में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए मानव अधिकार परामर्शी' जारी किया था ताकि बच्चों के अधिकारों का संवद्धन एवं संरक्षण सुनिश्चित करने में सरकार (रों) को मदद मिल सके।

जबकि बच्चों पर उपरोक्त सलाह में की गई कई सिफारिशें प्रासंगिक बनी हुई हैं और इसलिए, उन बच्चों और उनके परिवारों के लिए उनके कार्यान्वयन जारी रखने की आवश्यकता है जो महामारी की पहली और दूसरी लहर के दीर्घकालिक और निरंतर प्रभावों का अनुभव कर रहे हैं; भविष्य के लिए सभी हितधारकों द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिक तैयारी और कार्रवाई की आवश्यकता है, विशेष रूप से विशेषज्ञों ने महामारी की आसन्न तीसरी लहर के बारे में चेतावनी दी है। इस तैयारी और कार्रवाई के लिए सभी हितधारकों के बीच निकट-समन्वित, बहु-क्षेत्रीय और सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता होगी

संवैधानिक दायित्वों, घरेलू कानूनों, यूएनसीआरसी के सामान्य सिद्धांतों, एसडीजी, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के साथ-साथ किशोर न्याय समितियों द्वारा भारत में बच्चों के जीवन की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

तदनुसार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित व्यापक पहलुओं से संबंधित कोविड-19 (2.0) के संदर्भ में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एडवाइजरी जारी कर रहा है: (1) बच्चों का स्वास्थ्य, (2) बच्चों की शिक्षा, (3) बाल देखरेख सस्थानों में बच्चे, और (4) कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चे।

इस परामर्श के आधार पर, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध है कि वे महामारी के कारण उत्पन्न दशाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए विशिष्ट उपायों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (रिपोर्टें) प्रदान करें।

1. बच्चों का स्वास्थ्य

i. **बाल चिकित्सा कोविड अस्पतालों और प्रोटोकॉल को मजबूत करना:** उन्हें बड़े कोविड प्रबंधन दिशानिर्देशों के साथ संरेखित करें, बाल चिकित्सा बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करें, आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारियों, सुविधाओं, उपकरणों और दवाओं की सुनिश्चित करें। सभी अस्पतालों को चाइल्ड लाइन (1098),

स्थानीय बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू), स्थानीय पुलिस आदि की संपर्क जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करनी चाहिए

ii. **स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन कर्मचारियों का टीकाकरण कवरेज:** जैसा कि 04/05/2021 को जारी कोविड -19 महामारी (2.0) की दूसरी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य के अधिकार पर एनएचआरसी की स्वास्थ्य के अधिकार परामर्शी के उप-खंड-V में उल्लेख किया गया है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन के कर्मचारियों के टीकाकरण कवरेज में शेष अंतराल को तेजी से पूरा किया जाना चाहिए, और उनके संपर्क में आने वाले बच्चों को वायरस के संचरण को रोकने के लिए आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

iii. **मनो-सामाजिक सहायता (PSS):** जो बच्चे कोविड देखभाल सुविधाओं और अस्पतालों में अलग-थलग हैं, उन्हें मनो-सामाजिक समर्थन की आवश्यकता होगी क्योंकि वे अपने परिवार से दूर एक अलग वातावरण में समय बिताते हैं। इसलिए, विशिष्ट अंतराल पर माता-पिता के साथ ऑनलाइन या टेलीफोन पर बातचीत सहित, उनकी उम्र और लिंग के आधार पर बच्चों को मनो-सामाजिक समर्थन सुनिश्चित करें। इसके अलावा, विकलांग बच्चों की विशेष देखभाल और उपचार सुनिश्चित करें। कोविड महामारी के दौरान बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए 1800-121-2830 पर उपलब्ध टोल-फ्री टेलीफ़ोनिक परामर्श सेवा SAMVEDNA के बारे में जानकारी का प्रसार करें।

iv. **जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण:** यह स्वीकार करते हुए कि इस स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान स्वास्थ्य पेशेवरों पर अधिक बोझ है, और यह भी हर जगह उपलब्ध नहीं है, और यह स्वीकार करते हुए कि पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट, कंपाउंडर जैसे व्यक्ति पहले से ही बच्चों और उनके परिवारों को दवाएं दे रहे हैं (इसमें कोविड संबंधित दवाएं भी शामिल हैं), ऐसे व्यक्तियों को उचित प्रोटोकॉल के साथ महामारी के दौरान समुदाय की सहायता के लिए क्रैश कोर्स दिया जा सकता है ताकि उनकी निगरानी की जा सके। यह ऑनलाइन पोर्टल के रूप में हो सकता है, जिस पर वे अपना पंजीकरण करा सकते हैं। यह रोगियों को समय पर चिकित्सा ध्यान देने में सक्षम होगा, और अंधाधुंध दवा के अनपेक्षित परिणामों को रोकने में भी मदद करेगा

v. **खाद्य और पोषण:** 29/09/2020 को जारी किए गए बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एनएचआरसी एडवाइजरी की धारा 2 (v) में उल्लिखित के अनुसार फीडिंग केंद्रों / सामुदायिक रसोई का निरंतर और विस्तार, आईसीडीएस और मध्याह्न भोजन सेवाओं तक निरंतर पहुंच, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से बाहर किए गए लोगों को जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को भूख और कुपोषण को रोकने के लिए पौष्टिक भोजन की निर्बाध पहुंच हो। शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार समयबद्ध तरीके से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण एवं निःशुल्क खाद्यान्न वितरण में तेजी लाएं।

vi. **डेटा सेवाएं:** कोविड-19 के लिए परीक्षण किए गए बच्चों की विभिन्न श्रेणियों के बारे में आधिकारिक वेबसाइट पर अलग-अलग डेटा बनाए रखें, जैसे कोविड पॉजिटिव से ठीक हुए बच्चे और वायरस के कारण मरने वाले बच्चे, बाल चिकित्सा कोविड देखभाल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए विशेष कदम उठाए गए आदि, जिससे बच्चों के लिए आवश्यक विभिन्न सहायक सेवाओं की योजना बनाने एवं पारदर्शिता कायम रखने में सहायता मिले।

(महिला और बाल विकास मंत्रालय; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; शिक्षा मंत्रालय; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; और सभी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश।)

2. बच्चों की शिक्षा

i. **बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सुविधाओं का सार्वभौमिकरण:** इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित उपयुक्त उपकरणों और संसाधनों के प्रावधान के माध्यम से सभी बच्चों, विशेष रूप से समाज के निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से पर्याप्त बजट आवंटित किया जाना चाहिए।

ii. **निगरानी तंत्र:** यह निगरानी करने के लिए एक तंत्र विकसित करें कि क्या बजट आवंटन और आवश्यक उपकरणों/संसाधनों के प्रावधान ने कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया है।

iii. **स्कूल छोड़ना:** यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं कि महामारी की वजह से बच्चों को बाल श्रम, बाल विवाह, या तस्करी जैसी दुर्घटनाओं के शिकार होने के लिए मजबूर करने वाली परिस्थितियों के कारण स्कूल छोड़ना न पड़े। ड्रॉप-आउट बच्चों पर डेटा एकत्र करें और ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाने के लिए एक तंत्र बनाएं।

iv. **शिक्षकों को प्रशिक्षण:** शिक्षकों को समयबद्ध तरीके से प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे प्रभावी ढंग से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर सकें और स्कूलों में भौतिक उपस्थिति संभव होने तक डिजिटल मोड के माध्यम से दैनिक स्कूल कामकाज कर सकें।

v. **बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी डिजिटल शिक्षा के लिए PRAGYATA दिशानिर्देशों के अनुरूप बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए उचित उपाय करें।

vi. **संस्थागत देखभाल के भीतर बच्चे:** स्कूलों के फिर से खुलने तक ऑनलाइन शिक्षा के लिए कोविड-19 ढांचे के अनुसार संस्थागत देखभाल के भीतर सभी बच्चों के लिए डिजिटल तकनीक के माध्यम से शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित करें।

vii. **दिव्यांग बच्चे:** सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन कक्षाएं दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी और सुलभ हैं।

viii. **मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर / परामर्शदाता:** चूंकि स्कूल बंद हो गए हैं और बच्चे अपने साथियों के साथ मेलजोल करने में असमर्थ हैं, इससे इस अवधि के दौरान बच्चों के लिए मनो-सामाजिक समर्थन की आवश्यकता पैदा होती है। इसलिए, 31/05/2021 को जारी मानसिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एडवाइजरी (2.0) में अनुशंसित बच्चों और किशोरों के लिए मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों/परामर्शदाताओं का एक कैडर तैयार करें।

ix. **डेटा सेवाएं:** विभिन्न स्तरों पर ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के प्रतिशत, शिक्षा प्रणाली से बाहर होने वाले बच्चों की संख्या, स्कूलों में वापस नामांकित और नामांकित बच्चों की संख्या, वितरित डिजिटल उपकरणों की संख्या पर आधिकारिक वेबसाइट पर अलग-अलग डेटा बनाए रखें, आदि।

(शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।)

3. बाल देखरेख संस्थानों में बच्चे (CCIs)

i. **सीसीआई से बच्चों के लिए विशेष संगरोध केंद्रों की स्थापना:** यह मानते हुए कि देश भर में अधिकांश सीसीआई के पास बच्चों के अलगाव की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित स्थान या सुविधा नहीं है; कोविड के लिए सकारात्मक परीक्षण किए गए बच्चों के लिए संगरोध केंद्रों की पहचान करें और स्थापित करें जो ऑक्सीमीटर, पाइप ऑक्सीजन, दवाओं और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा नियमित विजिट सहित सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस हैं। आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार विशेष बाल रोग विशेषज्ञों और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों से परामर्श किया जाना चाहिए।

ii. **रोकथाम और सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल:** संस्था में बच्चों की स्वच्छता, कीटाणुशोधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता बनाए रखने के लिए पर्याप्त आपूर्ति और सुरक्षात्मक गियर सुनिश्चित करने के उपाय करें। बच्चों को सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके संक्रमित होने से बचाने के लिए सीसीआई के स्टाफ सदस्यों के बीच वायरस और इसकी संक्रामक प्रकृति के बारे में जागरूकता का प्रभावी ढंग से प्रसार किया जाना चाहिए। एहतियाती उपाय के रूप में, उन बच्चों का कोविड परीक्षण करें जिन्हें सीसीआई भेजा जाना है।

iii. **सहायक व्यक्तियों तक पहुंच:** सुनिश्चित करें कि बच्चों की पहुंच परिवार के सदस्यों/ वकीलों/ परामर्शदाताओं तक या तो कोविड प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए, या टेलीफोन/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो।

iv. **डिजिटल मोड के माध्यम से कार्यवाही:** सीडब्ल्यूसी और जेजेबी को जेजे अधिनियम और मॉडल / राज्य नियमों के तहत निर्धारित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए डेटा सुरक्षा, शारीरिक दूरी सुनिश्चित करते हुए डिजिटल मोड के माध्यम से कार्यवाही का संचालन करना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बजटीय सहायता सहित आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

v. **सीसीआई का सोशल ऑडिट और निरीक्षण:** राज्य सरकारों को सीसीआई के सोशल ऑडिट और निरीक्षण के लिए प्रोटोकॉल तैयार करना चाहिए ताकि महामारी के दौरान इसे सुरक्षित रूप से संचालित किया जा सके।

vi. **फ्रंटलाइन वर्कर:** जेजेबी, सीडब्ल्यूसी, डीसीपीयू, एसजेपीयू, सीसीआई, चाइल्डलाइन, एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि के सदस्यों और कर्मियों सहित मुख्य बाल संरक्षण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जा सकता है, इन्हें लॉकडाउन/कर्फ्यू के दौरान प्रतिबंध मुक्त आवाजाही के लिए पास और आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए।

vii. **डेटा सेवाएं:** वर्तमान में सीसीआई में रहने वाले बच्चों की संख्या पर डेटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाना चाहिए जैसे सीसीआई से जारी किया गया और/या परिवार/अभिभावकों को बहाल किया गया, प्रायोजन प्रदान किया गया, और पालक देखभाल, गोद लेने और रिश्तेदारी देखभाल में रखा गया सीसीआई में पॉजिटिव परीक्षण वाले बच्चों के डेटा के अलावा, संगरोध सुविधाओं में हैं, आदि।

(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश।)

4. **कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चे**

i. **रिश्तेदारों द्वारा देखभाल:** धारा 3 (xii) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के मद्देनजर, जो अंतिम उपाय के रूप में संस्थागतकरण के सिद्धांत बताता है, एक बच्चा जो महामारी के दौरान अपने माता पिता को खो चुका हो, उसे रिश्तेदारों द्वारा देखभाल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

माता-पिता दोनों की मृत्यु के मामले में जहां परिवार या रिश्तेदारी देखभाल उपलब्ध नहीं है और बच्चे (बच्चों) को बिना किसी सहायता के अनाथ पाया जाता है, सुनिश्चित करें कि बच्चे को तुरंत सीडब्ल्यूसी के समक्ष जेजेए, 2015 की धारा 31 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं तथा सभी मुख्य सचिवों को दिनांक 02/05/2021 को संबोधित एनसीपीसीआर के पत्र द्वारा दोहराया गया, के अनुसार पेश किया जाए।

ii. **दत्तक ग्रहण:** जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दत्तक ग्रहण केवल केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए।

iii. **बच्चों का पुनर्वास:** जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए सभी बच्चों का तत्काल पुनर्वास जेजे अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे बच्चों के मामलों से निपटने के लिए, जो कोविड-19 के कारण अनाथ हो गए हैं या अपने माता-पिता में से किसी एक को खो चुके हैं; दिनांक 26/05/2021 को सभी मुख्य सचिवों तथा संबंधित अधिकारियों के लिए जारी एवं सीपीसीआर की प्रक्रिया एवं सिफारिशों के अनुरूप किया जाए। जिला मजिस्ट्रेट को जेजेए, 2015 की धारा 105 के अनुसार वित्त पोषित सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए, और इन बच्चों के पुनर्वास पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के डी.ओ. पत्र दिनांक 30/04/2021 के अनुसार प्रदान करनी चाहिए। प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी (डीएम या एसडीएम), संबंधित सीडब्ल्यूसी के एक प्रतिनिधि, और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि से मिलकर एक समिति का गठन किया जा सकता है, जो बाल संरक्षण योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और क्रियान्वयन को कारगर बनाती है।

iv. **प्रायोजन और पालक देखभाल को मजबूत करना:** राज्य सरकार के समन्वय में बच्चों के लिए नोडल विभाग को महामारी के दौरान अपने माता-पिता, जो शायद अकेले कमाने वाले थे, को खोने वाले बच्चों के संस्थागतकरण को रोकने के लिए प्रायोजन और पालक देखभाल को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। पारिवारिक प्रायोजन योजनाओं को मजबूत करने के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध कराया जाए।

v. **सामाजिक सुरक्षा:** जिला मजिस्ट्रेट माता-पिता की मृत्यु के 4-6 सप्ताह के भीतर मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और नीतियों से जोड़कर उन परिवारों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए कदम उठाएंगे, जिन्होंने माता-पिता में से किसी एक को खो दिया है। 29/05/2021 को 'पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रेन' योजना के तहत प्रधान मंत्री द्वारा घोषित लाभों में तेजी लाने के कदमों में शामिल होना चाहिए।

vi. सुनिश्चित करें कि सभी कोविड अस्पतालों को भर्ती किए गए माता-पिता (ओं) से जानकारी एकत्र करने का निर्देश दिया जाता है कि किसी भी अप्रिय घटना के मामले में उनके बच्चों को एमओडब्ल्यूसीडी के डी.ओ. दिनांक 04/05/2021 के अनुसार किन्हें सौंपा जाए।

vii. **सूचना का प्रसार:** उन बच्चों के लिए उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी, जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है, जिसमें सीडब्ल्यूसी, चाइल्डलाइन और डीसीपीयू की संपर्क जानकारी शामिल है, और कानूनी गोद लेने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं को उपयुक्त स्थानों पर व्यापक और प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर के साथ-साथ राज्य और जिला सरकार विभाग की वेबसाइटों पर।

viii. **परित्यक्त बच्चे:** यदि कोई बच्चा (बच्चे) अस्पताल परिसर में परित्यक्त या अनाथ पाया जाता है, तो अस्पताल प्रशासन को चाइल्डलाइन या पुलिस को सूचित करना चाहिए। जिस अवधि के लिए अस्पताल बच्चे (बच्चों) का प्रभारी होता है, जो परित्यक्त या अनाथ पाए जाते हैं, उन्हें भोजन, पानी और पर्यवेक्षण के तहत आराम करने के

लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया जाना चाहिए, जब तक कि बच्चे को संबंधित अधिकारियों को नहीं सौंप दिया जाता है।

ix. **डेटा:** कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए सभी बच्चों के पुनर्वास में राज्य-वार प्रगति का संकेत दें, जिसमें अनाथों की संख्या (महामारी के दौरान एक या दोनों माता-पिता को खो चुके बच्चे) और सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 28/05/2021 और एनसीपीसीआर के सभी मुख्य सचिवों को दिनांक 26/05/2021 के निर्देशों के अनुपालन में, कानून के प्रावधानों के अनुसार पुनर्वासित शामिल हैं।

x. केंद्र और राज्य स्तर पर मंत्रालयों और विभागों को भी अपनी वेबसाइट पर तुरंत और प्रमुखता से कोविड से संबंधित एक पेज स्थापित करना चाहिए ताकि कोविड महामारी के दौरान बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण परिपत्रों और आदेशों को साझा किया जा सके और कार्यान्वयन में प्रगति की सूचना दी जा सके।

(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)

*****